

# **LEGAL AID CENTRE**

UNIVERSITY OF LUCKNOW



IN COLLABORATION WITH

# INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE

UNIVERSITY OF LUCKNOW

# GENDER SENSITIZATION PROGRAM

PHASE-

TO ENSURE SAFETY, SECURITY AND DIGNITY OF GIRLS AND WOMEN AT WORKPLACE

### TENTATIVE SCHEDULE

S. No.	Departments/Faculty	Tentative Date
1.	Faculty Of Engineering And Technology	06/05/2022
2.	Faculty of Yoga and Alternative Medicine	07/05/2022
3.	Institute of Management Sciences	09/05/2022
4.	<ul> <li>Institute of Tourism Studies</li> <li>Dr. Giri Lal Gupta Institute of Public Health</li> <li>Dr. Shankar Dayal Sharma Institute of Democracy</li> </ul>	11/05/2022
5.	Faculty of Law	12/05/2022

IN CASE OF QUERIES, REACH US AT

PROF. MADHURIMA PRADHAN CHAIRPERSON INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE UNIVERSITY OF LUCKNOW

**C9415188700** 

■PRADHAN.MADHURIMA@GMAIL.COM

PROF. (DR) . MOHMMAD AHAMAD

CHAIRPERSON
LEGAL AID CENTRE

94158336113 € LULEGALAID@LKOUNIV.AC.IN ■

UNIVERSITY OF LUCKNOW

## PRESS RELEASE

Gender Sensitization Workshop was scheduled to be held in different departments of University of Lucknow. The workshop was conducted by the Legal Aid Centre established in Faculty of Law, University of Lucknow in collaboration with Internal Complaints Committee, University of Lucknow at Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow (New Campus), Jankipuram Extension, on 6<sup>th</sup> May 2022 at 11:00 A.M.

The session was inaugurated with warmth of Kulgeet of the University by the members of Legal Aid Centre. The workshop was conducted in two parts, in the first part various law prevailing in the society was detailed to the attendees while in the second part Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and, Redressal) Act, 2013. The program started through presentation of informative and impacting videos on Gender Sensitization. The social exclusion faced by the transcends were also discussed.

Equal Remuneration Act 1976, Hindu Succession Act (2005) etc, Maternity Benefits Bill, 2018 were discussed in short. The workshop was a great success, interaction with students and noting their views as feedback was also done. The members of Legal Aid Clinic gave a detailed explanation of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act 2013 with illustrations making it more interactive. Women were also awared about the unsafe workplace environment, the case of Bhawri Devi and hardship faced by her to file a complaint.

The session was presided over by Professor (Dr) Madhurima Pradhan, Chairperson of Internal Complaints Committee (ICC), University of Lucknow and Professor (Dr) Mohammad Ahmad , Chairperson of Legal Aid Centre , University of Lucknow.

The Chief guest Prof. (Dr.) Madhurima Pradhan, shared her words of wisdom with the students and encouraged students to work towards making a gender sensitized society.

The chairperson of Legal Aid Committee Professor (Dr) Mohammad Ahmad also informed the students about the Legal Aid Centre and importance of law in ordinary life and encouraged the students present to learn about Law.

The session ended successfully with a Vote of thanks and conduction of Oath Ceremony of the Preamble of the constitution followed by a choir performed by the Member of the Centre

लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय विधिक सहायता केंद्र तथा आंतरिक शिकायत समिति द्वारा इंजीनियरिंग संकाय में लिंग संवेदीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन ।

लखनऊ विश्वविद्यालय,विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व लखनऊ विश्वविद्यालय, महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के समस्त संकायों में लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम को सूचीबद्ध किया है, जिसके पहले चरण में यह कार्यक्रम दिनांक (06/05/2022) को इंजीनियरिंग संकाय में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम का श्भारंभ विश्वविद्यालय क्लगीत गायन के किया गया। तत्पश्चात विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने लिंग कार्यस्थल महिलाओं के यौन संवेदीकरण एवं पर (रोकथाम,प्रतिषेध,प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से विस्तारित विवरण दिया, जिसके द्वारा सभी को विभिन्न लिंगों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया गया । तद्परांत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अभिनियम के माध्यम से महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के बारे में जागरूक किया गया।कार्यशाला के पहले चरण में कुछ चलचित्रों के माध्यम से दर्शकों को समाज में हो रहे लिंग आधारित भेदभाव को दिखाया गया एवं सभी को लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध खड़े होने एवं सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम के अगले चरण में अधिनियम में परिभाषित यौन उत्पीड़न ,पीड़ित महिला एवं कार्यस्थल पर जोर देकर इस अधिनियम में दिए गए सभी प्रावधानों का विवरण दिया गया।दर्शकों को इस अधिनियम के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति एवं शिकायत दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया गया।कार्यक्रम को समापन

की ओर ले जाते हुए देवेश यादव द्वारा एक बेहतरीन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसका प्रसंग "हम सब एक हैं" रहा एवं अंत में विधिक सहायता केंद्र के छात्र संयोजक अनुपम गुप्ता एवं अन्य सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की चेयरपर्सन प्रो. डॉ. मधुरिमा प्रधान उपस्थित रही और उन्होंने महिला सशक्तीकरण व लिंग संवेदीकरण पर लोगों के दृष्टिकोण पर विशेष व्ख्यान किया। संपूर्ण कार्यक्रम विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. सी. पी.सिंह व विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष प्रो. डॉ. मोहम्मद अहमद, तथा आंतरिक शिकायत समिति की चेयरपर्सन प्रो.डॉ मधुरिमा प्रधान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

विश्वविद्यालय विधिक सहायता केंद्र तथा आंतरिक शिकायत समिति द्वारा इंजीनियरिंग संकाय में लिंग संवेदीकरण पर जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन ।

लखनऊ विश्वविद्यालय,विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व लखनऊ विश्वविद्यालय, महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के समस्त संकायों में लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम को सूचीबद्ध किया है, जिसके पहले चरण में यह कार्यक्रम दिनांक (06/05/2022) को इंजीनियरिंग संकाय में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय क्लगीत गायन के किया गया। तत्पश्चात विधिक सहायता केंद्र के सदस्यों ने लिंग कार्यस्थल पर महिलाओं एवं के यौन (रोकथाम,प्रतिषेध,प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से विस्तारित विवरण दिया, जिसके द्वारा सभी को विभिन्न लिंगों के प्रति समान दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया गया । तदुपरांत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अभिनियम के माध्यम से महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के बारे में जागरूक किया गया।कार्यशाला के पहले चरण में कुछ चलचित्रों के माध्यम से दर्शकों को समाज में हो रहे लिंग आधारित भेदभाव को दिखाया गया एवं सभी को लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध खड़े होने एवं सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया।कार्यक्रम के अगले चरण में अधिनियम में परिभाषित यौन उत्पीड़न ,पीड़ित महिला एवं कार्यस्थल पर जोर देकर इस अधिनियम में दिए गए सभी प्रावधानों का विवरण दिया गया।दर्शकों को इस अधिनियम के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति एवं शिकायत दर्ज करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया गया।कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते ह्ए देवेश यादव द्वारा एक बेहतरीन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसका प्रसंग "हम सब एक हैं" रहा एवं अंत में विधिक सहायता केंद्र के छात्र संयोजक अन्पम ग्प्ता एवं अन्य सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति की चेयरपर्सन प्रो. डॉ. मध्रिमा प्रधान उपस्थित रही और उन्होंने महिला सशक्तीकरण व लिंग संवेदीकरण पर लोगों के दृष्टिकोण पर विशेष व्ख्यान किया। संपूर्ण कार्यक्रम विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. सी. पी.सिंह व विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष प्रो. डॉ. मोहम्मद अहमद, तथा आंतरिक शिकायत समिति की चेयरपर्सन प्रो.डॉ मधुरिमा प्रधान के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ



